न्यायालय : मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बाड़मेर (राज.)

पीठासीन अधिकारी– सुनिल रणवाह

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

(1) एम.ए.सी.टी. मूल प्रकरण संख्या– 2/2018

प्रार्थीगण–

1– श्रीमती मीरोदेवी पत्नि स्व. गेनाराम उम्र–30 वर्ष

2– ममता पुत्री गेनाराम उम्र–10 वर्ष

3– हेमलता पुत्री गेनाराम उम्र–08 वर्ष

4– सुमन पुत्री गेनाराम उम्र–06 वर्ष

5– रणवीर पुत्र गेनाराम उम्र–04 वर्ष

6– सीता पुत्री गेनाराम उम्र–02 वर्ष

7– रूघाराम पुत्र जयरामराम उम्र–60 वर्ष

8– श्रीमती रूखीदेवी पत्नि रूघाराम उम्र–55 वर्ष
प्रार्थीगण संख्या 2 से 6 नाबालिग जरिये कुदरति
वलिया माता प्रार्थिनी संख्या 1 श्रीमती मीरोदेवी
जाति–प्रजापत, निवासी–बीबड़ा, तहसील व जिला–बाड़मेर

–: ब ना म :–

विप्रार्थीगण–

1– पदमसिंह पुत्र जुगतसिंह जाति–राजपूत
निवासी–ऑफिसर कॉलोनी, लक्ष्मी नगर, बाड़मेर

(मालिक वाहन संख्या RJ-04/SE-3387)

2– मण्डलीय प्रबंधक,
यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
स्टेशन रोड़, बाड़मेर
पॉलिसी संख्या : 2904003116P109898077
वैधता अवधि : 25-10-2016 से 24-10-2017 मध्यरात्रि

(बीमा कम्पनी वाहन संख्या RJ-04/SE-3387)

पॉलिसी संख्या : 1407003115P112898914

वैधता अवधि : 30-01-2016 से 29-01-2017 मध्यरात्रि

(बीमा कम्पनी वाहन संख्या RJ-22/SX-4547)

3– सोमाराम पुत्र तेजाराम जाति–प्रजापत
निवासी–111 शेखावत नगर, पाली–मारवाड़
हाल निवासी–झाख, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

(मालिक वाहन संख्या RJ-04/SX-4547)

(2) एम.ए.सी.टी. मूल प्रकरण संख्या– 220/2017

<u>प्रार्थीगण</u>–

1– निर्मला पत्नि नरपतदास उम्र 25 वर्ष

2– तरूण पुत्र नरपतदास उम्र 03 वर्ष

3– पायल पुत्र नरपतदास उम्र 01 वर्ष

4– जेठीदेवी पत्नि तेजदास उम्र 65 वर्ष
नाबालिग प्रार्थी संख्या 2 व 3 जरिये कुदरती वलिया
माता श्रीमती निर्मला पत्नि नरपतदास प्रार्थीनी संख्या 1
जाति–संत तहसील बगते की बेरी, भाचभर तहसील
रामसर जिला बाड़मेर

–: ब ना म :–

<u>विप्रार्थीगण</u>–

3– सोमाराम पुत्र तेजाराम जाति प्रजापत निवासी 111, शेखावत नगर, पाली मारवाड हाल निवासी झाक तहसील बायतु, जिला बाड़मेर

(मालिक वाहन मोटरसाईकिल संख्या RJ-22/SX-4547)

2– प्रबन्धक, युनाईटेण्ड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि.
मण्डलीय कार्याल्य स्टेशन रोड़ बाड़मेर

(बीमा कम्पनी वाहन मोटरसाईकिल संख्या RJ-04/SE-3387)

<u>प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 166, मोटर वाहन अधिनियम, 1988</u>

<u>वास्ते प्राप्त करने क्षतिपूर्ति राशि रु 88,20,000/– व 95,80,000/–</u>

उपस्थितः–

1– श्री मेघाराम चौधरी, अधिवक्ता– प्रार्थीगण की ओर से (प्र.सं.– 2/2018 में)

2– श्री मनोज पारीक, अधिवक्ता– प्रार्थीगण की ओर से (प्र.सं.– 220/2017 में)

3– प्रकरण सं.– 2/2018 में विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

4– श्री भोमाराम सियाग, अधिवक्ता– विप्रार्थी सोमाराम की ओर से (दोनों प्रकरणों में)

5– श्री किरण मंगल, अधिवक्ता– विप्रार्थी बीमा कम्पनी की ओर से (दोनों प्रकरणों में)

–: नि र्ण य :– **दिनांक :– 07.01.2020**

1– यह प्रार्थना–पत्र धारा 166, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित, जिसे आगे 'अधिनियम' उल्लिखित किया गया है) के तहत मोटर दुर्घटना में हुई क्षति के प्रतिकर राशि हेतु प्रस्तुत किए गए हैं। चूँकि ये क्लेम आवेदन एक ही दुर्घटना से संबंधित हैं, इसलिए ये प्रकरण समेकित किए गए और इन प्रकरणों का विनिश्चय इस निर्णय के द्वारा एक साथ किया जा रहा है।

2– प्रकरण संख्या 2/2018 में प्रार्थीगण ने बताया है कि दिनांक 11.11.2016 को रात्रि के करीबन 8:00 पी.एम. बजे गेनाराम बाड़मेर से मोटरसाइकिल संख्या आरजे22–एसएक्स–4547 पर बाड़मेर में अपने भतीज का चैकअप करवाकर वापस अपने गांव बीबड़ा जा रहा था तो रास्ते में सरहद दांता तनसिंहपुरा से आगे जगदम्बा मंदिर से निकलते ही सड़क पर अचानक खेत में से गाय रोड पर आ जाने से मृतक गेनाराम ने गाय बचाने के लिए मोटरसाइकिल साइड में ली तब सामने से वाहन संख्या आरजे04–एसई–3387 का चालक तेज गति से चलाता हुआ आया तथा दोनों वाहनों की आमने–सामने भिड़ंत हो जाने से दुर्घटना कारित हुई। इस दुर्घटना में गेनाराम व नरपतदास की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

3– इसी तरह, प्रकरण संख्या 220/2017 में प्रार्थीगण ने बताया है कि दिनांक 11.11.2016 को नरपतदास अपने काकाई भाई जेठदास पुत्र चुनदास के साथ मोटरसाइकिल नम्बर आरजे04–एसई–3387 पर सवार होकर अपने गांव बगते की बेरी, भाचभर से बाड़मेर बिजली के बिल जमा करवाने आ रहा था तथा मोटरसाइकिल नरपतदास सावधानीपूर्वक धीमी गति से चला रहा था व जेठदास पीछे बैठा था। नरपतदास व जेठदास बाड़मेर की तरफ सरहद मौजा दांता में तनसिंहपुरा बस स्टैण्ड से आगे पहुंचे तो बाड़मेर की तरफ से एक मोटरसाइकिल

नम्बर आरजे22–एसएक्स–4547, जिस पर तीन जने सवार थे, को गेनाराम पुत्र रूगाराम जाति प्रजापत निवासी बीबड़ा वाला तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए आया तथा साइड में जा रही नरपतदास की मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी। इस दुर्घटना में नरपतदास व गेनाराम की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

4– इस दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बाड़मेर ग्रामीण में नारणाराम पुत्र रूगाराम जाति प्रजापत निवासी बीबड़ा द्वारा पेश की गई, जिस पर पुलिस ने उक्त प्रकरण की प्रथम सूचना संख्या 169/2016 अंतर्गत धारा 279, व 304ए भारतीय दंड संहिता में दर्ज की तथा दुर्घटना में दोनों वाहनों के चालकों की उपेक्षा मानते हुए एवं दुर्घटना में दोनों की मृत्यु होने के कारण नतीजा एफ.आर. बफौतगी मुलजिमान संबंधित दांडिक न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

5– प्रकरण संख्या 2/2018 में प्रार्थीगण ने मृतक गेनाराम के विधिक प्रतिनिधि की हैसियत से दुर्घटना में हुई क्षति के प्रतिकर के रूप में राशि रुपये 88,20,000/– अप्रार्थीगण से संयुक्ततः व पृथक रूप से दिलाये जाने तथा इस राशि पर ब्याज दिलाने की भी मांग की है।

6– इसी तरह, प्रकरण संख्या 220/2017 में प्रार्थीगण ने मृतक नरपतदास के विधिक प्रतिनिधि की हैसियत से दुर्घटना में हुई क्षति के प्रतिकर के रूप में राशि रुपये 95,80,000/– अप्रार्थीगण से संयुक्ततः व पृथक रूप से दिलाये जाने तथा इस राशि पर ब्याज दिलाने की भी मांग की है।

7– प्रकरण संख्या 2/2018 के विप्रार्थी संख्या 1 पदमसिंह ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत किया। इसमें अभिकथन किया कि उसकी मोटरसाइकिल को नरपतदास पड़ोसी होने से लेकर गया था तथा नरपतदास के पास लाइसेंस भी था। सामने वाली मोटरसाइकिल का चालक गेनाराम द्वारा लापरवाहीपूर्वक वाहन संचालन कर नरपतदास द्वारा चालित मोटरसाइकिल को गलत साइड में जाकर टक्कर मारने से उक्त दुर्घटना घटित हुई थी, जिसमें उसकी मोटरसाइकिल के चालक नरपतदास की कोई गलती नहीं थी। प्रार्थीगण ने दुर्घटना क्लेम प्राप्त करने के लिए पुलिस से मिलकर उसके विरुद्ध झूठा प्रकरण दर्ज करवाया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र विरुद्ध विप्रार्थी संख्या 1 खारिज किया जावें।

8– प्रकरण संख्या 2/2018 के विप्रार्थी संख्या 3 एवं प्रकरण संख्या

220/2017 के विप्रार्थी संख्या 1 सोमाराम ने प्रार्थना–पत्र के जवाब में प्रस्तुत अभिकथन में प्रार्थना–पत्र के अधिकांश तथ्यों से इनकारी की तथा यह अभिकथन किया कि उक्त दुर्घटना मृतक नरपतदास द्वारा मोटरसाइकिल संख्या आरजे04–एसई–3387 को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक संचालित करते हुए सामने से उसके स्वामित्व के वाहन संख्या आरजे22–एसएक्स–4547, जो गेनाराम द्वारा वैध लाइसेंस के साथ अपनी सही साइड में संचालित किया जा रहा था, के जोरदार टक्कर मारने से नरपतदास व गेनाराम दोनों के गंभीर चोटें आने से मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसे उक्त घटना की क्षतिपूर्ति की प्रार्थीगण को अदायगी के लिए कतई जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। वहीं वैकल्पिक रूप से यह अभिकथन किया कि दुर्घटना के समय वाहन विप्रार्थी बीमा कम्पनी के पास बीमित था, ऐसे में प्रतिकर अदायगी का दायित्व बीमा कम्पनी का है।

9– अप्रार्थी बीमा कम्पनी ने अपने जवाब में प्रार्थना–पत्र के अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार करते हुए दोनों प्रकरणों के आरोपित वाहनों के बीमित होने के तथ्य को स्वीकार किया, किन्तु यह अभिकथन किया कि यह दुर्घटना दोनों वाहनों के आपस में टकराने के परिणामस्वरूप हुई है। वहीं वक्त कथित दुर्घटना में कथित रूप से लिप्त वाहन के कथित चालक के पास बर वक्त कथित दुर्घटना को उक्त वाहन को चलाने हेतु वैध एवं प्रभावी अनुज्ञा–पत्र नहीं था। बीमा कम्पनी ने दुर्घटना के समय बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन के आधार पर प्रतिकर अदायगी से उन्मुक्ति का अभिवाक् किया।

10– प्रकरण संख्या 2/2018 में दुर्घटना के समय मृतक गेनाराम की आयु 32 वर्ष होना अंकित करते हुए मृतक का इलेक्ट्रीशियन होना एवं मृतक की मासिक आय 20,000/– अंकित की गई है तथा कुल प्रतिकर की राशि 88,20,000/– रुपये की मांग की, जिसका विस्तृत विवरण क्लेम आवेदन के पैरा संख्या 25 में अंकित किया गया है।

11– प्रकरण संख्या 220/2017 में दुर्घटना के समय मृतक नरपतदास की आयु 30 वर्ष होना अंकित करते हुए मृतक का प्राइवेट स्कूल में अध्यापक की नौकरी करना एवं मृतक की मासिक आय 8,000/– अंकित की गई है तथा कुल प्रतिकर की राशि 95,80,000/– रुपये की मांग की, जिसका विस्तृत विवरण क्लेम आवेदन के पैरा संख्या 25 में अंकित किया गया है।

12– प्रकरण संख्या 2/2018 में उक्त दुर्घटना में संलिप्त वाहन आरजे04–एसई–3387 का मालिक विप्रार्थी संख्या 1, दोनों वाहन विप्रार्थी संख्या 2 के यहां बीमित होने व दुर्घटना में संलिप्त वाहन आरजे22–एसएक्स–4547 का मालिक विप्रार्थी संख्या 3 होने से अप्रार्थीगण संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से प्रतिकर राशि के लिए जिम्मेदार है।

13– इसी तरह, प्रकरण संख्या 220/2017 में उक्त दुर्घटना के वाहन का मालिक अप्रार्थी संख्या 1 व वाहन अप्रार्थी संख्या 2 के यहां बीमित होने से अप्रार्थीगण संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से प्रतिकर राशि के लिए जिम्मेदार है।

14– प्रकरण संख्या 2/2018 में पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर अधिकरण द्वारा दिनांक 23.08.2018 को निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए गए :–

{1} क्या दिनांक 11.11.2016 को मोटरसाइकिल संख्या आरजे04–एसई–3387 के चालक नरपतदास ने मोटरसाइकिल को उपेक्षा व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए मोटरसाइकिल संख्या आरजे22–एसएक्स–4547 को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की तथा इस दुर्घटना में आई गंभीर चोटों से मोटरसाइकिल संख्या आरजे22–एसएक्स–4547 के चालक गेनाराम पुत्र रूघाराम की मृत्यु हुई?

– प्रार्थीगण

{2} क्या प्रार्थीगण मृतक के विधिक प्रतिनिधि की हैसियत से क्षतिपूर्ति प्रतिकर राशि रुपये 88,20,000/– प्राप्त करने के अधिकारी हैं? क्या प्रतिकर अदायगी का दायित्व अप्रार्थीगण संयुक्ततः व पृथक रूप से है?

– प्रार्थीगण

{3} क्या अप्रार्थी संख्या 2 (बीमा कम्पनी) अपने बचाव आधारों तथा विशेष आपत्तियों में वर्णित अभिकथनों के आधार पर क्षतिपूर्ति अदायगी से उन्मुक्ति की अधिकारी है, यदि ऐसा है तो क्लेम याचिका पर इसका क्या असर होगा?

– जिम्मे अप्रार्थी संख्या 2

{4} उचित प्रतिकर।

15– प्रकरण संख्या 220/2017 में पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर अधिकरण द्वारा दिनांक 21.07.2018 को निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए गए :–

{1} क्या दिनांक 11.11.2016 को गेनाराम पुत्र रूगाराम ने मोटरसाइकिल सं. आरजे22–एसएक्स–4547 को उपेक्षा व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए दुर्घटना कारित की तथा इस दुर्घटना में आई गंभीर चोटों से नरपतदास पुत्र तेजदास की मृत्यु हुई? **– प्रार्थीगण**

{2} क्या प्रार्थीगण मृतक के विधिक प्रतिनिधि के रूप में क्षतिपूर्ति प्रतिकर राशि

रु. 95,80,000/– अप्रार्थीगण से संयुक्ततः व पृथक प्राप्त करने के अधिकारी हैं?

– प्रार्थीगण

{3} बीमा कम्पनी (अप्रार्थी संख्या 2) द्वारा अपने जवाब अभिकथन में लिए बचाव आधार पर प्रतिकर अदायगी के दायित्व से उन्मुक्ति की अधिकारी ठहरती है? यदि ऐसा है, तो क्लेम याचिका पर इसका क्या असर पड़ेगा?

– अप्रार्थी सं. 2

{4} उचित अनुतोष।

16– प्रकरण संख्या 2/2018 में विवाद्यकों की पुष्टि में प्रार्थीगण की ओर से ए.डब्ल्यू.–1 मीरो देवी और ए.डब्ल्यू.–2 खरथाराम परीक्षित हुए। प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श–1 से प्रदर्श–24 तक दस्तावेजात प्रदर्शित हुए। खंडन में अप्रार्थी बीमा कम्पनी की ओर से एन.ए.डब्ल्यू.–1 एन.आर. मीणा परीक्षित हुए तथा प्रलेखीय साक्ष्य में एन.ए.–1 से एन.ए.–5 दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए। अन्य अप्रार्थीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई।

17– प्रकरण संख्या 220/2017 में विवाद्यकों की पुष्टि में प्रार्थीगण की ओर से ए.डब्ल्यू.–1 जेठी देवी और ए.डब्ल्यू.–2 जेठदास परीक्षित हुए। प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श–1 से प्रदर्श–22 तक दस्तावेजात प्रदर्शित हुए। खंडन में अप्रार्थी बीमा कम्पनी की ओर से एन.ए.डब्ल्यू.–1 एन.आर. मीणा परीक्षित हुए। अन्य अप्रार्थीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई।

18– उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण संख्या 2/2018 में प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री मेघाराम चौधरी का तर्क है कि दुर्घटना नरपतदास की लापरवाही से घटित हुई थी। चश्मदीद गवाह ने भी साक्ष्य से दुर्घटना नरपतदास की गलती से होना साबित किया है। अतः उचित मुआवजा दिलवाया जावें। प्रकरण संख्या 220/2017 के संबंध में प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री मनोज पारीक का तर्क है कि दुर्घटना गेनाराम की गलती से हुई थी। चश्मदीद गवाह ने गेनाराम की गलती से दुर्घटना होना साबित किया है। गेनाराम की मोटरसाइकिल पर तीन जने सवार थे जो कि अपने आप में गेनाराम की लापरवाही को दर्शाता है। अतः उचित मुआवजा दिलवाया जावें। अप्रार्थी व बीमा कम्पनी के अधिवक्ता का तर्क है कि दुर्घटना में दोनों चालकों की बराबर की भागीदारी थी। उनका यह भी तर्क है कि नरपतदास के पास वक्त दुर्घटना वैध एवं प्रभावी लाइसेंस नहीं था। अतः नरपतदास की मृत्यु

के लिए बीमा कम्पनी मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं है। उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया। विवाद्यकों का निर्णय निम्न प्रकार से है :–

<u>निर्णय विवाद्यक संख्या– 1 (दोनों प्रकरणों में)</u>

19– इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है। इस संबंध में प्रकरण संख्या 2/2018 में गवाह ए.डब्ल्यू.–1 मीरो देवी ने दिनांक 15.06.2019 को अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि उसके पति का एक्सीडेंट करीब ढाई साल पहले हुआ था। उसके पति मोटरसाइकिल पर बाड़मेर में अपने भतीज का अस्पताल में चैकअप करवाकर वापस अपने गांव बीबड़ा आ रहे थे। तनसिंहपुरा के जगदम्बा मंदिर के पास सड़क पर सामने गाय आ जाने के कारण उसे बचाने के चक्कर में सामने से तेज गति व लापरवाही से आ रही मोटरसाइकिल के सवार ने उसके पति की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। सामने वाली मोटरसाइकिल का चालक नरपतदास था। दुर्घटना में उसके पति के सिर में गंभीर चोट आई थी। उन्हें बाड़मेर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घ ोषित कर दिया था। उक्त घटना के संबंध में उसके जेठ नारणाराम ने पुलिस थाना बाड़मेर ग्रामीण में रिपोर्ट दी थी, जिस पर बाद अनुसंधान पुलिस ने बफौतगी मुलजिम एफआर पेश की थी। दुर्घटना में सामने वाले मोटरसाइकिल के सवार नरपतदास की भी मौत हो गई थी। उसके पति सही दिशा में चल रहे थे। दुर्घटना से संबंधित पुलिस दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रदर्श–1 से प्रदर्श–16 है। स्वयं विप्रार्थी संख्या 1 पदमसिंह तथा विप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता गवाह से प्रतिपरीक्षण के दौरान अनुपस्थित रहे। वहीं विप्रार्थी बीमा कम्पनी के अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया कि उसने दुर्घटना घटित होते नहीं देखी थी।

20– गवाह ए.डब्ल्यू.–2 खरथाराम ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि दिनांक 11.11.2016 को वह अपने बच्चे के मेडिकल चैकअप के लिए अपने भतीज के साथ मोटरसाइकिल सवार होकर बाड़मेर आया था। वापस लौटते समय तनसिंहपुरा गांव से थोड़ा आगे जगदम्बा मंदिर के पास सड़क पर सामने गाय आ जाने के कारण उनकी मोटरसाइकिल को गेनाराम ने गाय को बचाने के लिए धीरे किया, तब सामने से तेज गति व लापरवाही से आ रही मोटरसाइकिल के चालक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। सामने वाली मोटरसाइकिल

को नरपतदास चला रहा था। हादसे में उसके भतीज गेनाराम के सिर में गंभीर चोटें आई, जिसे बाड़मेर अस्पताल लाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। घटना सामने वाली मोटरसाइकिल के चालक की गलती से हुई थी। हादसे में उसके स्वयं के भी चोटें आई थी। घटना के संबंध में पुलिस थाने में रिपोर्ट नारणाराम ने दी थी। प्रतिपरीक्षण हेतु अप्रार्थी संख्या 1 पदमसिंह व अप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। वहीं बीमा कम्पनी के अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया कि यह कहना गलत है कि दुर्घटना में गेनाराम की गलती हो। दुर्घटना के समय गेनाराम के हेलमेट पहना हुआ था या नहीं, यह उसे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि वह जान–बूझकर हेलमेट के बारे में अनजान बन रहा हो। यह कहना सही है कि एक्सीडेंट सड़क के बीचों–बीच हुआ था।

21– विवाद्यक संख्या 1 के संबंध में प्रकरण संख्या 220/2017 में गवाह ए.डब्ल्यू.–1 जेठी देवी ने दिनांक 12.06.2019 को अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि उसके दो लड़कों में बड़े का नाम हंसराज है और छोटे का नाम नरपत था। करीब ढाई–तीन साल पहले नरपत गांव से मोटरसाइकिल पर बाड़मेर आ रहा था। मोटरसाइकिल उसके पड़ोसी पदमसिंह की थी। मोटरसाइकिल पर पीछे जेठदास बैठा था। गांव सरहद तनसिंहपुरा के पास सामने से आ रही मोटरसाइकिल के चालक ने उसके बेटे द्वारा चालित मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। सामने वाली मोटरसाइकिल के चालक ने तेज गति एवं लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाकर दुर्घटना कारित की थी। दुर्घटना में आई चोटों के चलते उसके पुत्र नरपत की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, जिसका शव पुलिस राजकीय चिकित्सालय, बाड़मेर ले गई थी। दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस थाने में नारणाराम ने दी थी। दोनों ही मोटरसाइकिलों के चालकों की मृत्यु हो जाने के कारण अदम फौतगी में अंतिम प्रतिवेदन (नकारात्मक) पुलिस ने पेश किया है। पुलिस कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रदर्श–1 से प्रदर्श–18 है। उक्त गवाह ने विप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा कोई प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है। बीमा कम्पनी के अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण में गवाह ने जाहिर किया कि दुर्घटना उसके पुत्र की गलती से हुई हो, इस बारे में उसे पता नहीं है।

22– गवाह ए.डब्ल्यू.–2 जेठदास ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि घटना 11.11.2016 को शाम के करीब 8:30 बजे की है। वह और

नरपतदास गांव से बाड़मेर जा रहे थे। जिस मोटरसाइकिल को नरपत चला रहा था, वह उसे पदमसिंह से मांगकर लाया था। तनसिंहपुरा के पास उनकी मोटरसाइकिल सही साइड में चल रही थी, तभी सामने से आ रही मोटरसाइकिल के चालक ने उनकी मोटरसाइकिल के टक्कर मार दी थी। हादसे में नरपत की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। उसके भी चोटें आई थी, जिससे वह बेहोश हो गया था। दुर्घटना सामने वाली मोटरसाइकिल के चालक द्वारा मोटरसाइकिल को तेज गति व लापरवाही से चलाने के कारण हुई थी। सामने वाली मोटरसाइकिल के नम्बर आरजे 22 4547 थे, जिसका चालक गेनाराम था। हादसे में गेनाराम की भी मृत्यु हो गई थी। इस गवाह से विप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा कोई प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया। वहीं बीमा कम्पनी के अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया कि यह कहना गलत है कि दुर्घटना वाली मोटरसाइकिल को वह चला रहा हो। नरपतदास के पास मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस था या नहीं, यह उसे पता नहीं है। यह कहना भी गलत है कि दुर्घटना के समय नरपतदास दारू पीकर मोटरसाइकिल चला रहा हो। यह कहना गलत है कि उक्त दुर्घटना में गलती नरपतदास की हो।

23– इस प्रकार, प्रकरण संख्या 2/2018 में ए.डब्ल्यू.–1 श्रीमती मीरो देवी ने अपने क्लेम प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों का समर्थन किया है तथा इस गवाह के कथनों का समर्थन ए.डब्ल्यू.–2 खरथाराम ने किया है। इसी तरह, प्रकरण संख्या 220/2017 में ए.डब्ल्यू.–1 जेठी देवी ने अपने क्लेम प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों का समर्थन किया है तथा इस गवाह के कथनों का समर्थन ए.डब्ल्यू.–2 जेठदास ने किया है।

दोनों प्रकरणों में प्रार्थीगण ने एक–दूसरे के विरुद्ध लापरवाही का आरोप लगाया है। गेनाराम की मृत्यु के संबंध में प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण ने नरपतदास की गलती से दुर्घटना होना बताया है, जबकि नरपतदास की मृत्यु वाले प्रकरण में प्रार्थीगण ने गेनाराम की लापरवाही से दुर्घटना होना बताया है। दोनों प्रकरणों में चश्मदीद गवाहान की साक्ष्य एक–दूसरे के विरोधाभासी है। दुर्घटना के संबंध में अनुसंधान दस्तावेजों का अवलोकन करें तो पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात् दोनों वाहन चालकों गेनाराम व नरपतदास को दुर्घटना का दोषी मानते हुए फौतगी में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। नक्शा–मौका का अवलोकन करें तो दुर्घटना सड़क

के बीचों–बीच होना दर्शाया गया है। प्रकरण संख्या 2/2018, जो कि गेनाराम के वारिसों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इस प्रकरण में अभिवचनों में तथा चश्मदीद गवाह ने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अचानक खेत से गाय रोड पर आ जाने से मृतक गेनाराम ने गाय को बचाने के लिए मोटरसाइकिल साइड में ली, तब सामने से वाहन संख्या आरजे04–एसई–3387 का चालक तेज गति से चलाता हुआ आया तथा दोनों वाहनों के आमने–सामने आपस में भिड़ंत होने से दुर्घटना कारित हुई। गेनाराम की मृत्यु वाले प्रकरण में अभिवचनों तथा चश्मदीद गवाह खरथाराम की साक्ष्य का अवलोकन करें तो यह स्पष्ट है कि गेनाराम ने गाय को बचाने के लिए जब मोटरसाइकिल मोड़ी तब सामने से आ रही मोटरसाइकिल से टक्कर हुई। इस घटना में प्रथम दृष्टया गेनाराम की लापरवाही तो उजागर होती ही है, साथ ही मृतक नरपतदास की भी लापरवाही उजागर होती है क्योंकि नक्शा–मौका के अनुसार दुर्घटना सड़क के मध्य में घटित हुई है। अगर नरपतदास भी सावधानीपूर्वक अपनी दिशा में बायीं तरफ वाहन चलाता तो गेनाराम द्वारा अचानक गाय को बचाने के लिए वाहन मोड़ने की दशा में भी नरपतदास दुर्घटना टाल सकता था। समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर इस न्यायालय की राय में दोनों चालकों की दुर्घटना में समान मात्रा में लापरवाही प्रतीत होती है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अखंडित मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट प्रकट होता है कि वक्त दुर्घटना दोनों मृतकों गेनाराम व नरपतदास ने उल्लंघनकारी वाहनों को उपेक्षा व लापरवाही से चलाया, जिससे हुई दुर्घटना में दोनों वाहन चालकों गेनाराम व नरपतदास की मृत्यु हो गई।

24– अतः उक्त विवेचन के परिणामस्वरूप इस विवाद्यक का विनिश्चय उपर्युक्तानुसार किया जाता है।

निर्णय विवाद्यक संख्या– 2

25– इस विवाद्यक को साबित करने का भार भी प्रार्थीगण पर है। यह विवाद्यक मोटर दुर्घटना में हुई क्षति की प्रतिकर राशि की मात्रा एवं दायित्व से संबंधित है। समेकित प्रकरणों में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात के विवेचन अनुसार प्रकरणवार प्रतिकर का अभिनिर्धारण निम्नलिखित प्रकार से किया जा रहा है :–

(1) <u>एम.ए.सी.टी. मूल प्रकरण संख्या– 2/2018</u>

<u>श्रीमती मीरोदेवी वगैरह बनाम पदमसिंह वगैरह</u>

26– यह क्लेम प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण ने गेनाराम की दुर्घटना में मृत्यु होने से प्रतिकर राशि प्राप्ति हेतु पेश किया है। इस संबंध में ए.डब्ल्यू.–1 श्रीमती मीरोदेवी ने अपने सशपथ कथनों में बताया है कि उसका विवाह करीब 13 साल पहले गेनाराम के साथ हुआ था। उसके पति गेनाराम लाइट फिटिंग–इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे और महीने के करीब 21,000/– कमाते थे। उन्हें रोजाना 700/– हाजरी मिलती थी। उसके परिवार में चार लड़कियां और एक लड़का ळ, ये सभी 11 वर्ष से छोटी आयु के हैं। वहीं उसके सास एवं ससुर भी उसके साथ ही रहते हैं। वे सभी उसके पति गेनाराम की आय पर ही निर्भर थे। गेनाराम की दुर्घटना में मृत्यु के बाद आश्रितों को उनकी आय की नुकसानी उठानी पड़ रही है। अप्रार्थी बीमा कम्पनी की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि यह कहना गलत है कि उसका पति कोई कार्य नहीं करता हो और उसकी कोई आय नहीं हो। यह कहना भी गलत है कि उसने क्लेम लेने के लिए उसके पति की आय को बढ़ा–चढ़ाकर पेश किया हो। उसने अपने पति की आय के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किए हैं।

27– जहां तक मृतक की उम्र का प्रश्न है, क्लेम आवेदन में मृतक गेनाराम की आयु 32 वर्ष होना बताया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध मृतक गेनाराम के ड्राइविंग लाइसेंस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–14 पेश की गई है, जिसमें गेनाराम की जन्मतिथि 07.06.1984 अंकित है तथा दुर्घटना दिनांक 11.11.2016 को कारित हुई है। इस अनुसार मृतक गेनाराम की वक्त दुर्घटना आयु 32 वर्ष पूरी होना दृष्टिगत होता है। अतः वक्त दुर्घटना मृतक के आयु वर्ग 31–35 के लिए 16 का गुणक प्रयुक्त किया जाता है। जहां तक मृतक की आय का प्रश्न है, ए.डब्ल्यू.–1 श्रीमती मीरोदेवी ने साक्ष्य में मृतक गेनाराम को इलेक्ट्रीशियन होना बताते हुए उसकी मासिक आय 21,000/– रुपये बताई है। इसके संबंध में प्रार्थीगण की साक्ष्य किसी दस्तावेज से समर्थित नहीं होने से आय का परिकलन तत्समय प्रवृत्त न्यूनतम मजदूरी की दरों को ध्यान में रख कर किया जाना न्यायोचित होगा। वर्ष 2016 में अकुशल श्रमिक को देय न्यूनतम मजदूरी की दर 5,226/– रुपये प्रतिमाह के बराबर आंकलित की जाकर क्षतिपूर्ति प्रतिकर का परिकलन किया जाना न्यायोचित

होगा। चूंकि मृतक 32 वर्ष आयु का था, इसलिए भावी आय की हानि के मद में 40 प्रतिशत राशि जोड़ना उचित प्रतीत होता है। मृतक के आश्रितों के रूप में उसकी पत्नी, पांच संतानें एवं माता–पिता पक्षकार है। ऐसे में 2009 ए.सी.जे. 1298 सरला वर्मा बनाम दिल्ली ट्रांसपोर्ट को. लि. की नजीर में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार मृतक की कुल आय में से उसके निजी खर्चों के रूप में 1/5 राशि कम किया जाना उचित है। इस प्रकार आय की हानि राशि रुपये (5,226 + 40**%** {5,226} **X** 12 **X** 16 **X** 4/5) = 11,23,800/– (राउंड ऑफ) होती है। चूंकि विवाद्यक संख्या 1 के विनिश्चिय के अनुसार दुर्घटना में दोनों वाहनों के चालकों की लापरवाही रही है, अतः मृतक गेनाराम की आय की हानि में पचास प्रतिशत की कटौती करते हुए प्रार्थीगण को राशि रुपये **5,61,900/–** दिलाई जानी उचित है।

28– सामान्य नुकसानी के तहत अंतिम संस्कार पर किये गये व्यय के प्रतिकर के रूप में राशि रुपये 15,000/– में से **7,500/–**, दांपत्य सुख की हानि के लिए (मृतक की पत्नी के लिए) राशि रुपये 40,000/– में से **20,000/–** तथा प्रार्थीगण को हुई संपदा की हानि के लिए राशि रुपये 15,000/– में से **7,500/–** प्रतिकर के रूप में प्रार्थीगण को दिलाए जाना उचित है।

इस प्रकार निम्नानुसार प्रतिकर निर्धारित किया जाना उचित है :–

मद	राशि (अंको में)
धनीय हानि	
आय/आश्रिता की हानि	**5,61,900/–**
अंतिम संस्कार पर व्यय	**7,500/–**
गैर धनीय हानि	
दांपत्य सुख की हानि	**20,000/–**
संपदा की हानि	**7,500/–**
योग	**5,96,900/–**

29– इस प्रकार कुल प्रतिकर राशि रुपये 5,96,900/– निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण अप्रार्थीगण से संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः इस विवाद्यक का विनिश्चिय इसी प्रकार से प्रार्थीगण के पक्ष में किया जाता है।

(2) <u>एम.ए.सी.टी. मूल प्रकरण संख्या– 220/2017</u>

<u>निर्मला वगैरह बनाम सोमाराम वगैरह</u>

30– यह क्लेम प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण ने नरपतदास की दुर्घटना में मृत्यु होने से प्रतिकर राशि प्राप्ति हेतु पेश किया है। इस संबंध में ए.डब्ल्यू.–1 जेठी देवी ने अपने सशपथ कथनों में बताया है कि दुर्घटना के समय उसका पुत्र नरपत 28 साल का था, जो उसक समय प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का कार्य करता था। उसे प्रतिमाह 8,000/– रुपये मिलते थे। नरपत शादीशुदा था, जिसके दो संतानें हैं। नरपत की आय से ही उसने घर का खर्च चलता था। उसकी मृत्यु होने से उन्हें उसकी आय की नुकसानी उठानी पड़ रही है। नरपत स्कूल में पढ़ाने के बाद सुबह–शाम खेती का काम करता था। खेती के काम से करीब 3–4 हजार रुपये महीने के कमा लेता था। प्रदर्श–19 से प्रदर्श–21 नरपत की शैक्षणिक योग्यता से संबंधित दस्तावेज है, जिनकी फोटो प्रतियां प्रदर्श–19ए से प्रदर्श–21ए है। प्रदर्श–22 नरपतदास का वेतन प्रमाण–पत्र है, जो संबंधित स्कूल द्वारा जारी किया गया है। बीमा कम्पनी के अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया कि यह कहना गलत है कि उसका पुत्र स्कूल में शिक्षक का कार्य न करता हो। यह कहना गलत है कि उसके पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेज गलत या फर्जी हो। यह कहना भी गलत है कि उसका पुत्र खाली समय में खेती का कार्य नहीं करता हो। यह कहना गलत है कि उसका पति जिंदा हो। उसके नरपत के अलावा एक और पुत्र है, जिसकी उम्र करीब 35 वर्ष है, जो उससे अलग रहता है।

31– जहां तक मृतक की उम्र का प्रश्न है, क्लेम आवेदन में मृतक नरपतदास की आयु 30 वर्ष होना बताया है तथा मृतक नरपतदास की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा, 2005 की अंक–तालिका प्रदर्श–21ए पेश की गई है, जिसमें नरपत दास की जन्मतिथि 02.07.1986 अंकित है तथा दुर्घटना दिनांक 11.11.2016 को कारित हुई है। इस अनुसार मृतक गेनाराम की वक्त दुर्घटना आयु 30 वर्ष पूरी होना दृष्टिगत होता है। अतः वक्त दुर्घटना मृतक के आयु वर्ग 31–35 के लिए 16 का गुणक प्रयुक्त किया जाता है। जहां तक मृतक की आय का प्रश्न है, ए.डब्ल्यू.–1 जेठी देवी ने साक्ष्य में मृतक नरपतदास को प्राइवेट स्कूल में शिक्षक होना बताते हुए उसकी मासिक आय 8,000/– रुपये बताई है। इसके साथ ही स्कूल में पढ़ाने के बाद सुबह–शाम

खेती का काम करने से महीने के करीब 3–4 हजार रुपये कमाना बताया है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के संबंध में प्रार्थीगण ने श्री उत्तम विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय, रामसर के प्रधानाध्यापक द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्रदर्श–22 प्रस्तुत किया है, जिस पर नरपतदास को अध्यापक पद के लिए प्रतिमाह 8,000/– रुपये मानदेय देना अंकित किया गया है लेकिन ना तो स्कूल का बही खाता प्रस्तुत किया गया है और न ही अन्य किसी साक्षी को वेतन प्रमाण–पत्र को साबित करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। ऐसी दशा में श्री उत्तम विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय, रामसर के प्रमाण–पत्र को साबित नहीं माना जा सकता है। मृतक नरपतदास बीएसटीसी डिप्लोमाधारक था, जिसकी दोनों अंक–तालिकाएं प्रदर्श–19 व 20 प्रस्तुत हुई है, इस आधार पर मृतक शिक्षक नियुक्त होने के लिए योग्यता रखता था। अतः उसे कुशल श्रमिक की श्रेणी में माना जाकर आय निर्धारित किया जाना उचित है। वर्ष 2016 में कुशल श्रमिक को देय न्यूनतम मजदूरी की दर 5,746/– रुपये प्रतिमाह के बराबर आंकलित की जाकर क्षतिपूर्ति प्रतिकर का परिकलन किया जाना न्यायोचित होगा। प्रार्थीगण ने मृतक के स्कूल में पढ़ाने के बाद सुबह–शाम खेती का कार्य करने से प्रतिमाह 3–4 हजार रुपये कमाने का भी कथन किया है। प्रार्थीगण की ओर से इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके साथ ही यह सहज ही उपधारित किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति पढ़ाने के बाद अन्य कार्य नहीं कर सकता है। ऐसे में इस न्यायालय की राय में मृतक को किसी अन्य कार्य के लिए आय की नुकसानी दिलाया जाना उचित नहीं है। चूंकि मृतक 31–35 आयु वर्ग का था, इसलिए भावी आय की हानि के मद में 40 प्रतिशत राशि जोड़ना उचित प्रतीत होता है। मृतक के आश्रितों के रूप में उसकी पत्नी, दो संतानें एवं माता पक्षकार है। ऐसे में 2009 ए.सी.जे. 1298 सरला वर्मा बनाम दिल्ली ट्रांसपोर्ट को. लि. की नजीर में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार मृतक की कुल आय में से उसके निजी खर्चों के रूप में 1/4 राशि कम किया जाना उचित है। इस प्रकार आय की हानि राशि रुपये (5,746 + 40**%** {5,746} **X** 12 **X** 16 **X** 3/4) = **11,58,393.6/–** होती है। चूंकि विवाद्यक संख्या 1 के विनिश्चिय के अनुसार दुर्घटना में दोनों वाहनों के चालकों की लापरवाही रही है, अतः मृतक नरपतदास की आय की हानि में पचास प्रतिशत की कटौती करते हुए

प्रार्थीगण को राशि रुपये **5,79,200/–** (राउंड ऑफ) दिलवाई जानी उचित है।

32– सामान्य नुकसानी के तहत अंतिम संस्कार पर किये गये व्यय के प्रतिकर के रूप में राशि रुपये 15,000/– में से **7,500/–**, दांपत्य सुख की हानि के लिए (मृतक की पत्नी के लिए) राशि रुपये 40,000/– में से **20,000/–** तथा प्रार्थीगण को हुई संपदा की हानि के लिए राशि रुपये 15,000/– में से **7,500/–** प्रतिकर के रूप में प्रार्थीगण को दिलाए जाना उचित है।

इस प्रकार निम्नानुसार प्रतिकर निर्धारित किया जाना उचित है :–

मद	राशि (अंको में)
धनीय हानि	
आय/आश्रिता की हानि	**5,79,200/–**
अंतिम संस्कार पर व्यय	**7,500/–**
गैर धनीय हानि	
दांपत्य सुख की हानि	**20,000/–**
संपदा की हानि	**7,500/–**
योग	**6,14,200/–**

33– इस प्रकार कुल प्रतिकर राशि रुपये 6,14,200/– निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण अप्रार्थीगण से संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः इस विवाद्यक का विनिश्चिय इसी प्रकार से प्रार्थीगण के पक्ष में किया जाता है।

<u>निर्णय विवाद्यक संख्या– 3</u>

34– इस विवाद्यक को साबित करने का भार अप्रार्थी संख्या 3 बीमा कम्पनी पर है। दोनों प्रकरणों में संलिप्त दोनों वाहनों की बीमा कम्पनी एक ही है। उक्त विवाद्यक का निर्णय प्रकरणवार निम्नलिखित है :–

(1) एम.ए.सी.टी. मूल प्रकरण संख्या– 2/2018

श्रीमती मीरोदेवी वगैरह बनाम पदमसिंह वगैरह

35– यह विवाद्यक अप्रार्थी संख्या 2 बीमा कम्पनी द्वारा अपने जवाब की विशेष आपत्तियों में अंकित प्रतिरक्षा के आधार पर विरचित हुआ है। बीमा कम्पनी की ओर से अपने जवाब की विशेष आपत्तियों में अंकित अभिवचनों की पुष्टि में साक्ष्य में प्रस्तुत एन.ए.डब्ल्यू.–1 श्री एन.आर. मीणा, उप प्रबंधक ने दिनांक 16.10.

2019 को अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 11.11.2016 को हुई दुर्घटना में वाहन मोटरसाइकिल संख्या आरजे04–एसई–3387 उनकी बीमा कम्पनी द्वारा दिनांक 25.10.2016 से 24.10.2017 तक पदमसिंह के नाम पैकेज पॉलिसी के तहत बीमित था। तथाकथित दुर्घटना के संबंध में उक्त वाहन को नरपतदास द्वारा चलाया जाना बताया है। नरपतदास के पास वक्त दुर्घटना उक्त मोटरसाइकिल को चलाने का वैध व प्रभावी लाइसेंस नहीं था, जो बीमा पॉलिसी प्रदर्श एन.ए.–1 का उल्लंघन है। हमारे अधिवक्ता द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 को नरपतदास का लाइसेंस अधिकरण में पेश करने हेतु रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया था, रजिस्टर्ड नोटिस की प्रति प्रदर्श एन.ए.–2 है व रसीद एन.ए.–3 है। उक्त नोटिस की एक प्रति नरपतदास की पत्नी निर्मला को भेजी गई, उसकी प्रति प्रदर्श एन.ए.–4 व रसीद एन.ए.–5 है। परंतु उक्त नोटिस के दिए जाने तथा प्राप्त होने के बाद भी न तो पदमसिंह और न ही निर्मला द्वारा नरपतदास का लाइसेंस पेश किया गया। उक्त दुर्घटना में स्वयं गेनाराम मृतक के विरुद्ध भी चालान की अनुशंसा धारा 279, 337, 338 व 304ए में प्रस्तुत करने हेतु पुलिस अन्वेषण अधिकारी द्वारा की गई थी, क्योंकि उक्त दुर्घटना में गेनाराम स्वयं की भी मृत्यु होने के कारण चालक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, परंतु उसके विरुद्ध भी उक्त धाराओं में अपराध प्रमाणित पाया था। वक्त दुर्घटना मृतक गेनाराम द्वारा चालित मोटरसाइकिल पर कैपेसिटी से अधिक यात्री बैठे हुए थे। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को हमारी बीमा कम्पनी क्लेम देने हेतु उत्तरदायी नहीं है। प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता प्रार्थीगण में गवाह ने इस बात को गलत बताया कि उक्त दुर्घटना में गेनाराम की गलती नहीं हो। यह कहना गलत है कि पुलिस ने गलत रूप से चालान पेश किया हो। प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 में गवाह ने कथन किया कि गेनाराम की गलती से दुर्घटना कारित हुई हो, ऐसी पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट पेश हुई हो तो उसे जानकारी नहीं है। गेनाराम के खिलाफ कोई रिपोर्ट थाने में पेश हुई तो उसे जानकारी नहीं है और न ही इस बारे में उसने कोई जांच करवाई। प्रतिपरीक्षण में विप्रार्थी संख्या 1 अनुपस्थित रहा।

36– बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करें तो वाहन का बीमा अप्रार्थी युनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कम्पनी द्वारा किया गया है। बीमा कम्पनी का तर्क रहा है कि आरोपी

उल्लंघनकारी वाहन के चालक नरपतदास के पास वैध एवं प्रभावी लाइसेंस नहीं था। इस संबंध में उन्होंने बीमा कम्पनी द्वारा उल्लंघनकारी वाहन के मालिक व चालक मृतक नरपतदास की पत्नी को नोटिस को प्रदर्शित भी करवाया है। चालक नरपतदास के पास वैध व प्रभावी लाइसेंस न होने के तथ्य को साबित करने का भार बीमा कम्पनी पर था। इस संबंध में हालांकि बीमा कम्पनी ने अपने जवाब में भी एतराज लिया है तथा नरपतदास द्वारा चलाई जा रही मोटरसाइकिल के मालिक व मृतक की पत्नी को भी नोटिस दिया गया है। नोटिस के बावजूद पत्रावली पर लाइसेंस प्रस्तुत नहीं हुआ है। मृतक नरपतदास की पत्नी ने लाइसेंस उसके पति के पास रहना व घर पर ढूंढ़ने से भी नहीं मिलने का कथन किया है। मृतक नरपतदास की पत्नी द्वारा जो कथन किया गया है वह स्वाभाविक प्रतीत होता है। लाइसेंस प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिए जाने के बावजूद लाइसेंस पेश न करने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि मृतक के पास लाइसेंस न हो। मृतक के लाइसेंस की जानकारी मृतक को ही थी। अतः लाइसेंस प्रस्तुत करने के लिए उसकी पत्नी को बाध्य भी नहीं किया जा सकता। इस संबंध में अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करें तो उसमें दोनों मोटरसाइकिलों के कागजात व चालकों के लाइसेंस की छाया प्रति प्राप्त कर शामिल मिसल करने का उल्लेख है। अंतिम प्रतिवेदन में उल्लिखित उपर्युक्त तथ्य से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मृतक नरपतदास के पास लाइसेंस था। नरपतदास की मृत्यु के पश्चात् संभवतः लाइसेंस न मिला हो क्योंकि पति की मृत्यु के पश्चात् नरपतदास की पत्नी उस समय पति के लाइसेंस आदि को संभालकर रखने की स्थिति में होना नहीं माना जा सकता। बीमा कम्पनी ने भी इस संबंध में परिवहन कार्यालय से नरपतदास के डी.एल. के संबंध में रिकॉर्ड प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया है। अतः समस्त विवेचन का निष्कर्ष यह है कि बीमा कम्पनी आरोपी चालक नरपतदास के पास वैध व प्रभावी लाइसेंस न होने के तथ्य को साबित करने में विफल रही है। अतः इस विवाद्यक का विनिश्चिय अप्रार्थी संख्या 3 बीमा कम्पनी के विरुद्ध तय किया जाता है।

(2) <u>एम.ए.सी.टी. मूल प्रकरण संख्या– 220/2017</u>

<u>निर्मला वगैरह बनाम सोमाराम वगैरह</u>

37– यह विवाद्यक अप्रार्थी संख्या 2 बीमा कम्पनी द्वारा अपने जवाब की विशेष आपत्तियों में अंकित प्रतिरक्षा के आधार पर विरचित हुआ है। बीमा कम्पनी

की ओर से अपने जवाब की विशेष आपत्तियों में अंकित अभिवचनों की पुष्टि में साक्ष्य में प्रस्तुत एन.ए.डब्ल्यू.–1 श्री एन.आर. मीणा, उप प्रबंधक ने दिनांक 16.10.2019 को अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 11.11.2016 को हुई दुर्घटना में वाहन मोटरसाइकिल संख्या आरजे22–एसएक्स–4547 उनकी बीमा कम्पनी द्वारा दिनांक 30.01.2016 से 29.01.2017 तक सोमाराम के नाम पैकेज पॉलिसी के तहत बीमित था। तथाकथित दुर्घटना के संबंध में प्रार्थिनी निर्मला के पति नरपतदास के पास मोटरसाइकिल चलाने का वैध व प्रभावी लाइसेंस नहीं था, जो मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन कर वाहन को चला रहा था। मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालक के पास वाहन चलाने का वैध व प्रभावी लाइसेंस होना आवश्यक है, परंतु वक्त दुर्घटना नरपतदास के पास उक्त वाहन चलाने का वैध व प्रभावी लाइसेंस नहीं था और न ही पत्रावली में निर्मला द्वारा पेश किया गया है। पुलिस अन्वेषण अधिकारी द्वारा उक्त दुर्घटना की जांच कर मृतक नरपतदास के विरुद्ध धारा 279, 337 व 304ए में अपराध प्रमाणित पाया था, परंतु दुर्घटना में नरपतदास की मृत्यु होने से चालान पेश नहीं किया जा सका। ऐसी स्थिति में विप्रार्थी बीमा कम्पनी प्रार्थीगण को क्लेम अदा करने हेतु जिम्मेदार नहीं है। प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता प्रार्थीगण में गवाह ने कथन किया कि यह कहना गलत है कि दुर्घटना में नरपतदास की गलती नहीं हो। यह बात सही है कि उसने मृतक नरपतदास के वारिसान को चालक का लाइसेंस पेश करने हेतु कोई नोटिस नहीं दिया था। अजखुद कहा कि आज उसके द्वारा डी.एल. पेश करने हेतु प्रार्थना–पत्र माननीय अधिकरण में पेश किया गया है। उसके द्वारा मृतक नरपतदास के डी.एल. वेरिफिकेशन संबंधित परिवहन विभाग से कोई जांच नहीं करवाई गई है। गवाह से अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने कोई प्रतिपरीक्षण नहीं किया।

38– बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करें तो वाहन बीमा कम्पनी के पास बीमित था। आरोपी चालक गेनाराम के पास वैध व प्रभावी लाइसेंस था, जो कि पत्रावली पर प्रस्तुत हुआ है। दुर्घटना के समय चालक के पास वैध व प्रभावी लाइसेंस था। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है, जो यह दर्शित करती हो कि वाहन बीमा शर्तों के उल्लंघन में संचालित किया जा रहा था। मृतक नरपतदास के लाइसेंस के संबंध में पूर्व में विनिश्चिय किया जा चुका है। अतः इस विवाद्यक का विनिश्चिय अप्रार्थी

संख्या 3 बीमा कम्पनी के विरुद्ध तय किया जाता है।

निर्णय विवाद्यक संख्या– 4

(1) एम.ए.सी.टी. मूल प्रकरण संख्या– 2/2018

श्रीमती मीरोदेवी वगैरह बनाम पदमसिंह वगैरह

39– अतः उपर्युक्त के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत क्लेम प्रार्थना–पत्र आंशिक रूप से 5,96,900/– रुपये की प्रतिकर राशि के लिए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से स्वीकार किया जाने योग्य है। प्रार्थीगण कुल प्रतिकर राशि पर क्लेम आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक 14.12.2017 से 7 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी है। यदि प्रार्थीगण ने धारा 140 मोटर वाहन अधिनियम के तहत अंतरिम प्रतिकर की राशि प्राप्त की है तो वह उक्त प्रतिकर की राशि में से समायोजित की जावें।

(2) एम.ए.सी.टी. मूल प्रकरण संख्या– 220/2017

निर्मला वगैरह बनाम सोमाराम वगैरह

40– अतः उपर्युक्त के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत क्लेम प्रार्थना–पत्र आंशिक रूप से 6,14,200/– रुपये की प्रतिकर राशि के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से स्वीकार किया जाने योग्य है। प्रार्थीगण कुल प्रतिकर राशि पर क्लेम आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक 23.10.2017 से 7 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी है। यदि प्रार्थीगण ने धारा 140 मोटर वाहन अधिनियम के तहत अंतरिम प्रतिकर की राशि प्राप्त की है तो वह उक्त प्रतिकर की राशि में से समायोजित की जावें।

–: अधिनिर्णय :–

(1) एम.ए.सी.टी. मूल प्रकरण संख्या– 2/2018

श्रीमती मीरोदेवी वगैरह बनाम पदमसिंह वगैरह

41– प्रार्थीगण श्रीमती मीरोदेवी वगैरह की ओर से प्रस्तुत क्लेम प्रार्थना–पत्र आंशिक रूप से **5,96,900/– रुपये (अक्षरे पांच लाख छियानवे हजार नौ सौ मात्र)** के प्रतिकर के लिए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से स्वीकार किया जाकर निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है :–

(1) प्रार्थीगण 5,96,900/– रुपये (अक्षरे पांच लाख छियानवे हजार नौ सौ मात्र) प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

(2) प्रार्थीगण उक्त क्षतिपूर्ति की राशि पर क्लेम प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 14.12.2017 से 7 प्रतिशत वार्षिक साधारण की दर से ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी है।

(3) प्रार्थीगण की सुरक्षा एवं भविष्य को देखते हुए प्रतिकर राशि का आवंटन प्रतिकर राशि अधिकरण में जमा के पश्चात् किया जाएगा।

(4) उक्त संपूर्ण राशि की अदायगी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक की जाएगी।

(5) उक्त प्रतिकर राशि एन.ई.एफ.टी. के जरिये विप्रार्थी संख्या 2 बीमा कम्पनी एक माह की अवधि में इस अधिकरण में जमा कराएगी।

(1) <u>एम.ए.सी.टी. मूल प्रकरण संख्या– 220/2017</u>

<u>निर्मला वगैरह बनाम सोमाराम वगैरह</u>

42– प्रार्थीगण निर्मला वगैरह की ओर से प्रस्तुत क्लेम प्रार्थना–पत्र आंशिक रूप से **6,14,200/– रुपये (अक्षरे छह लाख चौदह हजार दो सौ मात्र)** के प्रतिकर के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से स्वीकार किया जाकर निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है :–

(1) प्रार्थीगण 6,14,200/– रुपये (अक्षरे छह लाख चौदह हजार दो सौ मात्र) प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

(2) प्रार्थीगण उक्त क्षतिपूर्ति की राशि पर क्लेम प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 23.10.2017 से 7 प्रतिशत वार्षिक साधारण की दर से ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी है।

(3) प्रार्थीगण की सुरक्षा एवं भविष्य को देखते हुए प्रतिकर राशि का आवंटन प्रतिकर राशि अधिकरण में जमा के पश्चात् किया जाएगा।

(4) उक्त संपूर्ण राशि की अदायगी अप्रार्थीगण के द्वारा संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक की जाएगी।

(5) उक्त प्रतिकर राशि एन.ई.एफ.टी. के जरिये विप्रार्थी संख्या 2 बीमा कम्पनी एक माह की अवधि में इस अधिकरण में जमा कराएगी।

43– संबंधित पक्षकारों को निर्णय/अवार्ड की प्रति जारी की जाएं।

(सुनिल रणवाह)
न्यायाधीश
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
बाड़मेर

44– निर्णय/अवार्ड आज दिनांक **07.01.2020** को लिखाया जाकर खुले अधिकरण में सुनाया गया।

(सुनिल रणवाह)
न्यायाधीश
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
बाड़मेर